राजस्थान विधान सभा सचिवालय

-आज्ञा-

संख्याः 197 /संस्था/विस/2020 जयपुर, दिनांक 20 अप्रेल, 2020

राजस्थान विधान सभा में भारत सरकार के आदेश क्रमांकः- 40-3/2020-डीएम-T(ए) दिनांक 15.04.2020 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः- प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 15.04.2020 के अनुसरण में लॉक डाऊन अवधि के तत्पश्चात् दिनांक 20 अप्रैल से 03 मई, 2020 तक लॉक डाऊन के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन में 33 प्रतिशत कार्मिकों को कार्यालय बुलाया जाने का निर्णय लिया गया था, को राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाकर फिलहाल स्थगित कर दिया गया हैं। शेष दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में इस सचिवालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 16.04.2020 को संशोधित कर निम्न आदेश जारी किये जाते हैं:-

1. राजस्थान विधान सभा सचिवालय में आम जन के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।
2. राजस्थान विधान सभा सचिवालय में सचिव, वरिष्ठ उप सचिव एवं उप सचिव स्तर तक के समस्त अधिकारी एवं उनका निजी स्टाफ ही आवश्यकतानुसार कार्यालय में उपस्थित रहते हुए कार्य सम्पादित करेंगे।
3. राजस्थान विधान सभा सचिवालय में आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभाग यथाः सुरक्षा, स्टोर कीपर (प्रत्येक स्टोर में एक कार्मिक अथवा आवश्यकतानुसार न्यूनतम कार्मिक) केयर टेकर, सहायक सचिव (सुरक्षा), इस सचिवालय में वेतन बिल एवं अन्य बिल पास करने हेतु न्यूनतम कार्मिकों सहित वित्तीय सलाहकार, आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय, अन्य विभागों के सार्वजनिक निर्माण विभाग की सिविल, विद्युत, उद्यान, पीएचईडी व जेईएन इलेक्ट्रिक (JVVNL) के कार्मिक कार्यालय में आवश्यकतानुसार उपस्थित रहेंगे।
4. विधान सभा सचिवालय परिसर में संचालित अत्यावश्यक सेवाओं में राजकीय एलोपेथिक/आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक/यूनानी चिकित्सालय में एवं सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड का डिपार्टमेण्टल स्टोर एवं औषधि भण्डार स्टोर लॉक डाऊन अवधि में आवश्यकतानुसार नियमित रूप से खुले रहेंगे, जिनमें पदस्थापित न्यूनतम स्टाफ अपनी सेवाएं देंगे।
5. कार्यस्थल पर मास्क पहनकर आना एवं सामाजिक दूरियां रखा जाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी, मार्शल यह सुनिश्चित करेंगे कि विधान सभा परिसर की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं और वर्तमान परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग की अपरिहार्यता के दृष्टिगत वस्तुस्थिति की निरन्तर समीक्षा करते हुए अन्य दिवसों में उनके अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों की तैनाती संख्या आवश्यकतानुसार रखी जाए।

यह निर्देश दिनांक 03 मई, 2020 अथवा अन्य आदेश जारी होने तक जो भी पूर्व हो तक प्रभावी रहेंगे।

20/4/20

(प्रमिल कुमार माथुर)
सचिव

C:\Users\Dell\Desktop\ORDER-HOLIDAY (1).doc/59

P.T.O

Scanned with CamScanner

संख्या: एफ.8(1)संस्था/विस/2005-2020/3449-3748 जयपुर, दिनांक 20 अप्रेल, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक/माननीय नेता प्रतिपक्ष/माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. माननीय मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
8. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. पुलिस कमिश्नर, कमिश्नरेट जयपुर, (कृपया वे समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित करें कि लॉक डाऊन के दौरान कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों के परिचय-पत्र देखकर अवागमन की अनुमति प्रदान करावें।)
10. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
11. निजी सचिव/अतिरिक्त निजी सचिव/आशुलिपिक, वरिष्ठ उप सचिव/समस्त उप सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
12. सम्पादक (वाद-विवाद/मुद्रण)/मार्शल/मुख्य अन्वेषण एवं सन्दर्भ अधिकारी/पुस्तकालयाधिकारी एवं सहायक मार्शल, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
13. राजस्थान विधान सभा सचिवालय के समस्त सहायक सचिव/शाखाधिकारियों को अधीनस्थ स्टाफ के प्रसारणार्थ।
14. तकनीकी निदेशक, NIC, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
15. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय एलोपेथिक चिकित्सालय विधान सभा। वे कृपया लॉक डाऊन अवधि में नियमित रूप से डिस्पेन्सरी संचालित करते हुए डिस्पेन्शरी में निर्देशानुसार स्टाफ की ड्यूटी लगाते हुए व्यवस्था को सुनिश्चित करावें।
17. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक/यूनानी चिकित्सालय विधान सभा, जयपुर। वे कृपया लॉक डाऊन अवधि में नियमित रूप से डिस्पेन्सरी संचालित करते हुए डिस्पेन्शरी में निर्देशानुसार स्टाफ की ड्यूटी लगाते हुए व्यवस्था को सुनिश्चित करावें।
18. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड़, सहकार भवन, जयपुर। वे कृपया विधान सभा स्थित उपभोक्ता भण्डार को नियमित रूप से लॉक डाऊन अवधि में संचालित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें तथा उक्त स्टोर में उपभोक्ता सामग्री की माकूल व्यवस्था भी सुनिश्चित करावें ताकि माननीय सदस्यों व स्टाफ को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
19. प्रबन्ध निदेशक(कान्फेड़ मेडिकल), राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड़, एस.जी.आर नेहरू पैलेस, जयपुर। वे कृपया विधान सभा में स्थित उपभोक्ता भण्डार में औषधियों की माकूल व्यवस्था को सुनिश्चित करें ताकि माननीय सदस्यों व स्टाफ को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
20. जन सम्पर्क प्रकोष्ठ, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
21. उप कोषाधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
22. सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान विधान सभा परिसर, जयपुर।
23. कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
24. मैनेजर, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, मिल्क बार/उपहार गृह, जयपुर।
25. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, राजस्थान विधान सभा शाखा, जयपुर।
26. प्रभारी, रोडवेज/रेलवे आरक्षण काउन्टर/डाक घर, राजस्थान विधान सभा परिसर, जयपुर।
27. प्रभारी, सहकारी उपभोक्ता भंड़ार/कान्फेड़ मेडिकल स्टोर, राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, विधान सभा परिसर, जयपुर। वे कृपया आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
28. डेशबोर्ड/इन्ट्रानेट (10.130.10.6), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
29. संबंधित पंजिका

20/04/2020

(डॉ. राहुल पारीक)

सहायक सचिव (संस्थापन)

Scanned with CamScanner